



**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

D.B. Criminal Appeal (DB) No. 33/2026

State of Rajasthan, Through PP

----Appellant

Versus

1. Deep Singh S/o Sheshu Singh, R/o Bansdai Lakhaguda, P.S. Devgarh, District Rajsamand (Raj.)
2. Poonam Singh S/o Sheshu Singh, R/o Bansdai Lakhaguda, P.S. Devgarh, District Rajsamand (Raj.)

----Respondents

For Appellant(s) : Mr. C.S. Ojha, PP

For Respondent(s) : Mr. DLR Vyas

**HON'BLE MR. JUSTICE VINIT KUMAR MATHUR
HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA SHEKHAR SHARMA**

Judgment

1.	Date of conclusion of arguments	25.03.2026
2.	Date on which the judgment was reserved	25.03.2026
3.	Whether the full judgment or only operative part is pronounced	Full Judgment
4.	Date of Pronouncement	28.03.2026

BY THE COURT: (Per Chandra Shekhar Sharma, J)

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378 (iii) व (i) के अधीन यह अपील राजस्थान राज्य ने विद्वान सेशन न्यायाधीश, राजसमंद के द्वारा सेशन प्रकरण संख्या 58/2017 (सी.आई.एस. क्रमांक 130/2017); राजस्थान राज्य बनाम दीप सिंह वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 05.04.2023 के विरुद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियुक्त दीप सिंह पुत्र शेषु सिंह को अपराध अन्तर्गत धारा 302/34 भारतीय दंड संहिता व धारा 4/25 आयुध अधिनियम तथा अभियुक्त पूनम सिंह पुत्र शेषु सिंह को अपराध अन्तर्गत धारा 302/34 भारतीय दंड संहिता व धारा 3/25 आयुध अधिनियम के अपराध के आरोपों में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया।



02. इस अपील के निस्तारण हेतु प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 23.08.2017 को परिवादी मांगू सिंह ने थानाधिकारी, पुलिस थाना, देवगढ़ के समक्ष उपस्थित होकर एक हस्तलिखित रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि उसका पुत्र अशोक सिंह दिनांक 22.08.2017 को उसके दोस्तों के साथ लाखागुड़ा में मेला घूमने का बोलकर घर से निकला था। इससे करीब 7-8 माह पूर्व उसके पड़ोसी दीप सिंह की लड़की प्रिया, भगवानसिंह के साथ भाग गई थी, जिसको भगाने में उसके पुत्र अशोक पर दीप सिंह व उसके परिवार वाले शंका करते आ रहे हैं तथा इस बात को लेकर दीप सिंह व उसके परिवार वाले उसके साथ रंजिश रखते हैं। दिनांक 22.08.2017 को शाम करीब 07:00 बजे दीप सिंह व उसकी पत्नी संतोष देवी हाथ में बंदूक व कुल्हाड़ी लेकर उसके घर के बाहर आए तथा अशोक को जान से खत्म करने की धमकी देने लगे। परिवादी द्वारा उन्हें मना करने पर दीप सिंह गाली-गलौज कर घर से चला गया तथा उसके कुछ समय बाद करीब 08:30 पी.एम. पर जंगल की तरफ से बंदूक चलने की आवाज आई, तो परिवादी व उसका भतीजा टीकमसिंह, सोहन सिंह व उसके रिश्तेदार दुर्गासिंह सभी जंगल की तरफ दौड़कर गए, तो देखा कि छगनसिंह के खेत में उसका लड़का अशोक सिंह खून से सना हुआ जमीन पर पड़ा हुआ था तथा दीप सिंह, पूनम सिंह व गोपाल सिंह गांव की तरफ भागते नजर आए। परिवादी व उसके साथ वालों ने अशोक सिंह के पास जाकर देखा तो उसके शरीर पर कई जगह से खून निकल रहा था तथा चाकू से गोदने के निशान व बंदूक के छर्रे के निशान बने हुए थे। उनके पहुंचने तक परिवादी के पुत्र अशोक सिंह की मृत्यु हो चुकी थी। उक्त घटना की सूचना पुलिस को दी तो, पुलिस मौके पर आई। परिवादी के पुत्र अशोक सिंह की दीप सिंह, पूनम सिंह व गोपाल सिंह ने रंजिशवश हत्या की है.... इत्यादि।

03. उपर्युक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना, देवगढ़ में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 226/2017 पंजीबद्ध की जाकर, बाद आवश्यक अनुसंधान अभियुक्त दीप सिंह के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 302, 34 भारतीय दंड संहिता व धारा 4/25 आयुध अधिनियम तथा अभियुक्त पूनम सिंह के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 302, 34 भारतीय दंड संहिता व धारा 3/25 आयुध अधिनियम में आरोप-पत्र



विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवगढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां से कमिट होकर यह प्रकरण विद्वान विचारण न्यायालय में प्राप्त हुआ।

04. विद्वान विचारण न्यायाधीश ने बहस चार्ज सुनकर अभियुक्त दीप सिंह पुत्र शेषु सिंह को अपराध अन्तर्गत धारा 302/34 भारतीय दंड संहिता व धारा 4/25 आयुध अधिनियम तथा अभियुक्त पूनम सिंह पुत्र शेषु सिंह को अपराध अन्तर्गत धारा 302/34 भारतीय दंड संहिता व धारा 3/25 आयुध अधिनियम के अपराध में आरोप पृथक से विरचित कर सुनाए व समझाए, अभियुक्तगण ने आरोपों को सुन व समझकर, अस्वीकार किया और अन्वीक्षा की मांग की।

05. दौराने अन्वीक्षा आरोपों की पुष्टि में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 25 गवाहान परीक्षित हुए एवं प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श पी.01 से प्रदर्श पी.52 दस्तावेज प्रदर्शित हुए।

06. तत्पश्चात् धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन अभियुक्तगण का परीक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने साक्ष्य अभियोजन को गलत बताया तथा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश करते हुए प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में प्रदर्श डी.01 से प्रदर्श डी.04 दस्तावेज प्रस्तुत किए और यह व्यक्त किया कि वे निर्दोष हैं, उन्हें मामले में झूठा फंसाया गया है। तत्पश्चात् विद्वान विचारण न्यायाधीश ने उभयपक्षों की बहस सुनकर उपर्युक्तानुसार निर्णय पारित किया, जिसके निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी—राजस्थान राज्य ने यह अपील प्रस्तुत की है।

07. हमने अपीलार्थी—राजस्थान राज्य की ओर से उपस्थित योग्य लोक अभियोजक एवं प्रत्यर्चीगण के योग्य अधिवक्ता की बहस सुनी, आक्षेपित निर्णय व अभिलेख का अवलोकन किया।

08. बहस के दौरान अपीलार्थी—राजस्थान राज्य की ओर से योग्य लोक अभियोजक ने मुख्य रूप से यह तर्क दिए कि प्रकरण में कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य नहीं है और मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। परिवादी पी.डब्ल्यू.06 मांगू सिंह, पी.डब्ल्यू.02 टीकम सिंह, पी.डब्ल्यू.03 सोहन सिंह, पी.डब्ल्यू.01 दुर्गा सिंह ने अपनी साक्ष्य में अभियुक्तगण को भागते देखे जाने और उन व्यक्तियों को पहचानना बताया है। फिर भी ऐसी स्थिति में कोई संदेह था, तो भी जिस प्रकार



की परिस्थितियां थी, उनके अनुसार परिवादी पक्ष अभियुक्तगण को पहले से जानता था और दीप सिंह की सूचना अन्तर्गत धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की पालना में ही उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त धारदार तलवार बरामद की गई थी। इसी प्रकार अभियुक्त पूनम सिंह की भी सूचना के आधार पर घटना में प्रयुक्त बंदूक की बरामदगी की गई, जो की चालू हालत में थी तथा एफ.एस.एल. रिपोर्ट से भी तलवार एवं मृतक के कपड़ों पर जो खून पाया गया था, वह एक ही रक्त समूह (ब्लड ग्रुप) का था। गवाहों द्वारा भागते समय टॉर्च की रोशनी में अभियुक्तगण को देखा गया था और इस घटना के पीछे यह हेतुक (Motive) भी प्रमाणित हुआ है कि अभियुक्त दीप सिंह की लड़की प्रिया को भगवान सिंह नामक व्यक्ति भगाकर ले गया था और उसमें मृतक अशोक सिंह की भूमिका होने से अभियुक्तगण उससे रंजिश रखते थे। घटना से पूर्व भी मृतक के निवास स्थान पर आकर धमकियां दी गई थीं। इस प्रकार संपूर्ण साक्ष्य की स्थिति को देखते हुए, फिर भी विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थीगण—अभियुक्तगण की आरोपित अपराधों में जो दोषमुक्ति की गई है, वह निष्कर्ष न्यायोचित नहीं होने से यह अपील स्वीकार करते हुए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.04.2023 को अपास्त करते हुए प्रत्यर्थीगण—अभियुक्तगण को दोषसिद्ध करने का निवेदन किया।

09. उक्त तर्कों का खंडन करते हुए योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण—अभियुक्तगण ने मुख्य रूप से तर्क दिए कि सर्वप्रथम जब प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी, उसमें अभियुक्तगण को टॉर्च की रोशनी से पहचाने जाने का कोई कथन नहीं किया गया था और जो रंजिश की बात कही गई है, वह भी गवाहों के कथनों से प्रमाणित नहीं है। तलवार एवं बंदूक की बरामदगी भी काफी समय बाद की गई है जबकि परिवादी ने साक्ष्य के दौरान यह भी स्वीकार किया है कि तलवार मौके पर ही पड़ी थी। जब्तशुदा बंदूक चालू हालत में थी, इस बाबत भी साक्ष्य में यह तथ्य आया है कि उसे चला कर नहीं देखा गया और वह जंग लगी हुई थी। विद्वान विचारण न्यायालय ने ऐसी बरामदगी को भी संदेहास्पद पाया है। जिन गवाहों द्वारा प्रत्यर्थीगण को पहचाना जाना कहा गया है, उन्होंने अपने पुलिस बयानों में भी इस प्रकार के कोई कथन नहीं किए थे। इस प्रकार परिस्थितिजन्य साक्ष्य की प्रत्येक शृंखला उसी अनुरूप प्रमाणित नहीं होने से ही



विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में जो निष्कर्ष देकर प्रत्यर्थीगण-अभियुक्तगण को आरोपित अपराधों के आरोप में दोषमुक्त किया है, उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप किए जाने की आवश्यकता नहीं होने से यह अपील खारिज करने का निवेदन किया।

10. अभिलेख के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि सर्वप्रथम परिवादी मांगू सिंह द्वारा घटना की जो रिपोर्ट प्रदर्श पी.10 दिनांक 23.08.2017 को दर्ज कराई थी, इस रिपोर्ट के अनुसार घटना दिनांक 22.08.2017 की रात्रि की बताई गई है और इस रिपोर्ट में परिवादी मांगू सिंह ने यह उल्लेख किया है कि दिनांक 22.08.2017 को उसका पुत्र अशोक सिंह रामदेव जी के मेले में घूमने का बोलकर हेमसिंह व छोटूसिंह के साथ गया था और इससे करीब 7-8 माह पूर्व पड़ोसी दीप सिंह की लड़की प्रिया भगवान सिंह के साथ भाग गई थी, इस बात को लेकर अशोक सिंह पर दीप सिंह और उसका परिवार शंका करते थे और घटना से पूर्व शाम को भी 07:00 बजे दीप सिंह और उसकी पत्नी श्रीमती संतोष देवी ने घर पर आकर धमकियां भी दी थीं। इसके बाद 08:30 पी.एम. पर जंगल की तरफ से बंदूक चलने की आवाज आई तो स्वयं मांगू सिंह, उसका भतीजा टीकम सिंह, सोहन सिंह, दुर्गा सिंह जंगल की तरफ दौड़कर गए तो वहां छगन सिंह के खेत में अशोक सिंह खून से सना हुआ जमीन पर पड़ा था और दीप सिंह, पूनम सिंह और गोपाल सिंह वहां से भागते हुए नजर आए थे। इस प्रकार इस रिपोर्ट के अनुसार जो महत्वपूर्ण गवाह बताए गए हैं, उनमें पी.डब्ल्यू.01 दुर्गा सिंह, पी.डब्ल्यू.02 टीकम सिंह, पी.डब्ल्यू.03 सोहन सिंह और स्वयं परिवादी पी.डब्ल्यू.06 मांगू सिंह को ही बताया गया है और उक्त चारों ही गवाहों ने अपने मुख्य परीक्षण में यह भी बताया है कि जब शाम 08:30 बजे बंदूक चलने की आवाज सुनकर टॉर्च लेकर जंगल की तरफ गए, तब इन्होंने ही वहां पर दीप सिंह, पूनम सिंह और गोपाल सिंह को भागते हुए देखा था, जिनमें से पूनम सिंह के हाथ में बंदूक, दीप सिंह के हाथ में तलवार और गोपाल सिंह के हाथ में चाकू था और वहां पर अशोक सिंह खून से सना हुआ जमीन पर पड़ा था तथा पुलिस भी सूचना मिलते ही तत्काल आ गई थी। इन गवाहों के अनुसार इन्होंने टॉर्च की रोशनी में अभियुक्तगण को पहचाना



था। इस प्रकार इन चारों ही गवाहों ने जो मुख्य परीक्षण में कथन किए हैं, जिनमें प्रत्येक अभियुक्त के हाथ में क्या हथियार था और इन्होंने टॉर्च की रोशनी में अभियुक्तगण को पहचाना था, इस प्रकार के संपूर्ण कथन प्रदर्श पी.10 रिपोर्ट में नहीं हैं। बल्कि पी.डब्ल्यू.01 दुर्गा सिंह ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह भी स्वीकार किया है कि उसने अभियुक्तगण को घटनास्थल पर जाते हुए नहीं देखा था और उसका लड़का सरदार सिंह खेत में रखवाली के लिए बाहर गया था। उसके द्वारा यह भी स्वीकार किया गया कि मृतक अशोक सिंह के साथ उसका लड़का सरदार सिंह भी खेत में साथ में था। इस गवाह द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि उसके पुलिस बयान प्रदर्श डी.01 में गोपाल सिंह द्वारा चाकू मारना, दीप सिंह द्वारा तलवार से वार करने के तथ्यों का अंकन नहीं है और घटनास्थल के आस-पास बहुत सारी झाड़ियां होना भी बताया गया है। पी.डब्ल्यू.02 टीकम सिंह भी अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार करता है कि इसने अभियुक्तगण को घर पर जाते हुए नहीं देखा और इसने उस दिन रात्रि को घटनास्थल पर पुलिस के आने पर कोई लिखित रिपोर्ट भी नहीं दी थी और घटनास्थल पर बहुत सारी बबूल की झाड़ियां भी थीं। इसने यह भी स्वीकार किया कि पुलिस बयान प्रदर्श डी.02 में मुल्जिमानों को घटनास्थल से दस कदम दूरी से भागते हुए देखने वाली बात नहीं लिखाई है। पी.डब्ल्यू.03 सोहन सिंह भी अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार करता है कि पुलिस बयान प्रदर्श डी.03 में इस बात का उल्लेख नहीं है कि जब वे लोग मौके पर पहुंचे, तब अभियुक्तगण अशोक सिंह की लाश के आस-पास खड़े थे। गवाह ने यह स्वीकार किया कि अशोक सिंह को अभियुक्तगण के साथ जाते हुए या ले जाते हुए उसने नहीं देखा। इस गवाह द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि घटना के बारे में पुलिस वालों ने रात में ही हमारे से लिखित में ही ले लिया था और हथियार मुल्जिमानों ने कुएं में डाल दिए थे। स्वयं परिवादी पी.डब्ल्यू.06 मांगू सिंह प्रतिपरीक्षण में यह कहता है कि रिपोर्ट प्रदर्श पी.10 टीकम सिंह लिखवाकर लाया था। रिपोर्ट के बारे में इस गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में भी कहा कि मौके पर पुलिस थोड़ी देर में आ गई थी और इन्होंने तुरंत ही पुलिस में रिपोर्ट कर दी थी और प्रतिपरीक्षण के अनुसार टीकम सिंह दूसरे दिन वकील साहब से मिलकर रिपोर्ट टाईप करवाकर लाया था तथा यह स्वयं को घटना के समय घर पर नहीं



होकर मंदिर में होना बताता है। यह गवाह यह भी कहता है कि अशोक सिंह 04:00 बजे घर से गया और उसके बाद उसने अशोक को मरने के बाद ही देखा था। यह भी कहा गया कि अशोक सिंह व सरदार सिंह दोनों दुर्गा सिंह के खेत पर सोये थे। यह भी स्वीकार किया गया कि प्रदर्श पी.10 में टॉर्च से इन्होंने मुल्जिमानों को भागते हुए पहचाना हो, इसका अंकन नहीं है। गवाह द्वारा यह भी स्वीकार किया गया कि उसके पुलिस बयानों में इस बात का अंकन नहीं है कि उसके हाथ में टॉर्च हो, जिसकी लाईट से इसने मुल्जिमानों को पहचाना हो और मौके पर तलवार पड़ी होना बताया हो। इस गवाह द्वारा यह स्वीकार किया गया कि इनके जाने से पहले सरदार सिंह मौके पर पहुंच गया था। अज खुद कहा कि वह तो वहीं पर था। वह, सोहन सिंह, मांगू सिंह, दुर्गा सिंह बाद में मौके पर पहुंचे थे। यह भी स्वीकार किया कि सरदार सिंह ने इन्हें यह बताया कि बंदूक की आवाज आते ही वह मौके पर गया व उसे देखकर मुल्जिमान भाग गए थे। गवाह द्वारा यह भी स्वीकार किया गया कि ये सारी बातें उसे टीकम सिंह ने बताईं। इस प्रकार परिवादी की उक्त साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि जब मांगू सिंह, दुर्गा सिंह, टीकम सिंह और सोहन सिंह बंदूक की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे उससे पूर्व से ही सरदार सिंह वहां पहुंचा हुआ होता है, जो अभियुक्तगण के मौके से भाग जाने वाली इन लोगों को बताता है और स्वयं परिवादी भी यह स्वीकार करता है कि ये सारी बातें उसे इसके भतीजे टीकम सिंह ने बताई थी। इस प्रकार जब सर्वप्रथम सरदार सिंह मौके पर पहुंचा था और उसने ही अभियुक्तगण को भागते हुए देखा था, तो इस स्थिति में जो कथन मांगू सिंह, दुर्गा सिंह, टीकम सिंह और सोहन सिंह ने टॉर्च की रोशनी में अभियुक्तगण को भागते हुए पहचानने बाबत किए हैं, वे विश्वास योग्य नहीं हैं। पी.डब्ल्यू.04 सरदार सिंह ने भी अपनी साक्ष्य में यह तो कह दिया कि वह जब मौके पर पहुंचा मांगू सिंह, दुर्गा सिंह, टीकम सिंह और सोहन सिंह टॉर्च लिए खड़े थे, परन्तु प्रतिपरीक्षण में घटना के समय स्वयं का खेत पर सोया होना बताया और यह स्वीकार किया कि उसने मुल्जिमानों को घटनास्थल पर नहीं देखा। यह गवाह यह स्वीकार करता है कि मांगू सिंह व अन्य घटनास्थल से दूर घरों में रहते हैं। उक्त घटना के समय स्वयं का खेत पर रखवाली करना कहा और यह भी कहता है कि वह मौके पर नहीं गया था। इस



प्रकार यदि पी.डब्ल्यू.06 मांगू सिंह के अनुसार इसके पहुंचने से पहले सरदार सिंह मौके पर पहुंचा था जो कि पहले से ही वहां था और उसने ही अभियुक्तगण के बारे में बताया था, परन्तु पी.डब्ल्यू.04 सरदार सिंह की साक्ष्य के अनुसार तो जब यह पहुंचा, उस समय मुल्जिमानों को उसने वहां पर नहीं देखा था। अतः इस स्थिति में पी.डब्ल्यू.01 दुर्गा सिंह, पी.डब्ल्यू.02 टीकम सिंह, पी.डब्ल्यू.03 सोहन सिंह, पी.डब्ल्यू.04 सरदार सिंह और पी.डब्ल्यू.06 मांगू सिंह द्वारा मुख्य परीक्षण में दी गई साक्ष्य पर भी संदेह हो जाता है और विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा भी उक्त गवाहान के कथनों के आधार पर ही यह पाया कि वास्तविक रूप से ये गवाह घटना के समय मौके पर नहीं थे। स्वयं अभियोजन पक्ष भी यह तथ्य स्वीकार करता है कि घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य नहीं है, बल्कि मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर ही आधारित है।

11. परिवारी की ओर से अभियुक्त दीप सिंह की लड़की प्रिया को भगवान सिंह के साथ भगाने की बात को लेकर मृतक अशोक सिंह के साथ जो रंजिश होने की बात कही गई है, यह तथ्य भी उसी अनुरूप प्रमाणित नहीं है क्योंकि पी. डब्ल्यू.01 दुर्गा सिंह यह स्वीकार करता है कि दीप सिंह की लड़की प्रिया को भगाकर ले जाने के मामले में सामाजिक स्तर पर राजीनामा हो गया था और उसके बाद दोनों पक्षों के मध्य कोई विवाद नहीं था। पी.डब्ल्यू.03 सोहन सिंह भी दीप सिंह की लड़की प्रिया को भगाने के मामले में मांगू सिंह व दीप सिंह का राजीनामा स्वीकार करता है और यह कहता है कि दोनों की आपस में बोलचाल होकर आना-जाना था। घटना से पहले दीप सिंह व मांगू सिंह के परिवार के मध्य कोई लड़ाई-झगड़ा नहीं था और ना ही वाद-विवाद था। परिवारी पी.डब्ल्यू.06 मांगू सिंह भी यह स्वीकार करता है कि भगवान सिंह प्रिया को लेकर भाग था, इस बाबत दीप सिंह या उसके परिवार वालों ने भगवान सिंह के साथ कोई मारपीट या लड़ाई-झगड़ा नहीं किया। पी.डब्ल्यू.05 हरि सिंह, जो कि मृतक अशोक सिंह का सगा भाई है, वह पक्षद्रोही रहा है और इसने अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया। यह गवाह भी यह स्वीकार करता है कि अभियुक्तगत व इनके बीच कोई लड़ाई-झगड़ा नहीं था। इस प्रकार परिस्थितिजन्य साक्ष्य की शृंखला में अभियुक्त



दीप सिंह की लड़की प्रिया को भगाने की बात को लेकर मृतक अशोक सिंह पर शंका करते हुए, जो रंजिश का कथन परिवादी द्वारा किया गया है, वह भी उपर्युक्त साक्ष्य से साबित होना नहीं पाया जाता है।

12. अभियोजन पक्ष की ओर से अपनी अपील में मुख्य आधार यही लिया गया है कि दोनों ही प्रत्यर्थीगण—अभियुक्तगण की सूचना के आधार पर ही घटना में प्रयुक्त तलवार एवं बंदूक की बरामदगी की गई थी और बरामदशुदा तलवार पर खून के धब्बे भी पाए गए थे, जो एक समान रक्त समूह (ब्लड ग्रुप) के थे। परन्तु इस बरामदगी के संबंध में भी स्वयं परिवादी पी.डब्ल्यू.06 मांगू सिंह अपनी साक्ष्य के दौरान यह कहता है कि मौके पर तलवार पड़ी हुई थी। इस संबंध में पी.डब्ल्यू.07 लुम्ब सिंह, पी.डब्ल्यू.09 गेन सिंह, पी.डब्ल्यू.14 लक्ष्मण सिंह, पी.डब्ल्यू.15 किशन सिंह को भी साक्ष्य में पेश किया गया है। इसी के साक्ष्य के अनुसार जो बंदूक की जब्ती प्रदर्श पी.12 के जरिये की गई थी, वह पूनम सिंह घर से लेकर आया था, लेकिन मकान का ताला किसने खोला, उसे पता नहीं है। पी.डब्ल्यू.24 जय प्रकाश जिसने जब्तशुदा बंदूक का निरीक्षण कर उसके चालू हालत में होने की रिपोर्ट प्रदर्श पी.26 दी थी, प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार करता है कि उसने बंदूक को चला कर नहीं देखा था और प्रदर्श पी.26 में भी यह अंकित नहीं कि किस आधार पर बंदूक चालू हालत में थी। यह भी स्वीकार करता है कि बंदूक की नली के अंदर जंग लगी हुई थी और प्रदर्श पी.26 में बंदूक के रंग व साईज का अंकन नहीं है। फर्द सूचना अभियुक्त दीप सिंह प्रदर्श पी.42 एवं फर्द सूचना अभियुक्त पूनम सिंह प्रदर्श पी.43 के अनुसार दिनांक 26.08.2017 को क्रमशः सुबह 11:00 बजे एवं 11:10 बजे दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी बरामदगी दिनांक 28.08.2017 को समय 01:10 बजे अभियुक्त दीप सिंह से तलवार की बरामदगी एवं दिनांक 28.08.2017 की दोपहर 01:45 बजे अभियुक्त पूनम सिंह से बंदूक की बरामदगी किया जाना बताया है अर्थात् अभियुक्तगण द्वारा धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना दी जाने के भी करीब 48 घंटों से अधिक समय गुजर जाने के पश्चात् उनकी सूचना के ही अनुसरण में इसकी बरामदगी होना कहा गया है। जबकि मांगू सिंह के अनुसार तो तलवार मौके पर ही पड़ी हुई थी। पी.डब्ल्यू.03 सोहन सिंह



अपने प्रतिपरीक्षण में कहता है कि मुल्जिमान ने अपने हथियार कुएं में डाल दिए थे। इस प्रकार उक्त बरामदगी घटना के करीब 06 दिन पश्चात् होना बताया गया है। साक्ष्य से यह भी स्पष्ट होता है कि रात्रि के समय ही पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। इसके बाद घटनास्थल से उस वक्त तक कोई बरामदगी नहीं की जाती है और सुबह होने के पश्चात् घटनास्थल पर लोगों की आवाजाही भी शुरू हो जाती है, परन्तु फिर भी घटनास्थल से बाद में खून आलूदा मिट्टी, सैंपल मिट्टी व चप्पल जरिये फर्द क्रमशः प्रदर्श पी.05, प्रदर्श पी.06 व प्रदर्श पी.07 के जब्त किए जाते हैं और विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त बरामदगियों के संबंध में अभिलेख पर जो साक्ष्य आई थी, उसका सही रूप से विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए इस बरामदगी को भी संदेहास्पद होना पाया है। इसके अतिरिक्त भी जो कॉल डिटेल् होना कथन किया गया है, उस बाबत् भी धारा 65—बी साक्ष्य अधिनियम का भी प्रमाण—पत्र नहीं होने से इस पर भी संदेह किया गया है। इस प्रकार जहां अभियोजन पक्ष का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित था, इस स्थिति में अभियोजन पक्ष के लिए यह आवश्यक था कि प्रत्येक परिस्थितिजन्य साक्ष्य की शृंखला को उसी अनुरूप साक्ष्य से प्रमाणित किया जाता। पी.डब्ल्यू.01 दुर्गा सिंह, पी.डब्ल्यू.02 टीकम सिंह, पी.डब्ल्यू.03 सोहन सिंह और पी.डब्ल्यू.06 मांगू सिंह ने विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष साक्ष्य के दौरान घटना देखे जाने और अभियुक्तगण को पहचाने जाने के कथन कर दिए थे, जबकि वे इस बाबत् अनुसंधान के दौरान भी नहीं बता रहे थे और प्रदर्श पी.10 रिपोर्ट से भी विरोधाभास होना प्रकट हुआ है। स्वयं परिवादी के अनुसार सरदार सिंह पहले मौके पर पहुंचा था और उसी ने ही अभियुक्तगण के बारे में बताया था। परन्तु पी.डब्ल्यू.04 सरदार सिंह स्वयं अभियुक्तगण को नहीं देखना बताता है। इस प्रकार इस स्थिति में जो अभियुक्तगण की सूचना के आधार पर तलवार एवं बंदूक की बरामदगी करना एवं तलवार पर मानव रक्त होने का कथन किया गया है, केवल इसी आधार पर ही प्रत्यर्थीगण—अभियुक्तगण को आरोपित अपराध से नहीं जोड़ा जा सकता है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 19.06.2025 **State of Rajasthan V. Hanuman, Criminal Appeal No(s).631/2017** के पैरा संख्या 03, 04, 06, 07 व 09 में भी निम्न स्थिति स्पष्ट की गई है:—



"3. The respondent was charged for the murder of one Chotu Lal which took place on the intervening night of 1st March, 2007 and 2nd March, 2007. The FIR No. 37 of 2007 was filed against unknown assailants. The respondent was arraigned in the case on the basis of suspicion and circumstantial evidence. The prosecution led circumstantial evidence in the form of motive alleging the respondent was having an evil eye on the wife of the deceased; recovery of the weapon of offence and the FSL report indicating that the blood group on the weapon matched with the blood group of the deceased (B+ve).

4. In the appeal preferred by the accused against his conviction, the High Court held that the prosecution could not prove the complete chain of circumstances required to bring home the guilt of the accused in the case which was based entirely on circumstantial evidence. Accordingly, the High Court proceeded to acquit the respondent accused of the charge.

6. We find that the incriminating circumstances relied upon by the prosecution, i.e., the motive and the recovery of the blood stained weapon, even taken in conjunction cannot constitute the complete chain of incriminating circumstances required to bring home the charges against the accused. The High Court seems to have overlooked the FSL report which fact was stressed upon by learned counsel for the appellant. However, in our view, even if the FSL report is taken into account, then also, other than the fact that the weapon recovered at the instance of the accused tested positive for the same blood group as that of the deceased (B+ve), nothing much turns on the said report.

7. This Court in the case of **Raja Naykar v. State of Chhattisgarh** (2024) 3 SCC 481 held that mere recovery of a blood-stained weapon even bearing the same blood group of the victim would not be sufficient to prove the charge of murder.

9. Law is well settled by a catena of decisions of this Court that in an appeal against acquittal, interference can only be made if the only possible view based on the evidence points to the guilt of the accused and rules out his innocence. In the present case, we are duly satisfied that the prosecution failed to lead clinching evidence to bring home the charges. The only possible view is the one taken by the High Court, i.e., the innocence of the accused."

13. परिणामस्वरूप, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभिलेख पर आई संपूर्ण साक्ष्य की स्थिति को देखते हुए अपने निर्णय में निष्कर्ष देकर प्रत्यर्थीगण-अभियुक्तगण को आरोपित अपराधों के आरोप में दोषमुक्त किया गया



है, उसमें हस्तक्षेप किए जाने की आवश्यकता नहीं होने से अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत यह अपील अस्वीकार कर खारिज की जाती है एवं विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.04.2023 की पुष्टि की जाती है।

14. प्रत्यर्चीगण-अभियुक्तगण को निर्देशित किया जाता है कि अविलम्ब विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर धारा 437-ए दंड प्रक्रिया संहिता के तहत ₹50,000 की राशि की जमानत एवं इसी राशि का मुचलका 06 माह की अवधि के लिए इस शर्त के साथ प्रस्तुत करें कि यदि इस निर्णय में उसकी दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील होती है, तो वह माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो जाएंगे।

इस निर्णय की एक प्रति सहित विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख अविलम्ब प्रेषित हो।

(CHANDRA SHEKHAR SHARMA),J

(VINIT KUMAR MATHUR),J

92-Vishal/-